

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/गृहखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व शिबं नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्थायिक, राजकीय, आविर्गत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

सर्व अधिकार केवल आवासीय प्रयोजन के लिए

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 733 दिनांक 21/10/2020

पी + 1

आवासीय

नाथी अशोक कुमार डा. श्री प्रगल्भाव

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7299/- पंजी

जरिये रसीद संख्या 9669/9293, 9792

दिनांक 21/10/2020 को जमा करा दी है ।

P. No: 66 मुभास कोलोनरी
जोधपुर पी कोडी

21/10/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Vikram Dary

पुत्र

9649 218977